



## परिषद् – प्रवेश के नियम :-

### १. सदस्य के लिए सामान्य योग्यता-

- क. वैदिक मन्तव्य व सिद्धान्त (जो वेद तथा वेदानुकूल आर्ष वाङ्मय पर आधारित महर्षि दयानन्द के ग्रंथों में वर्णित) को स्वीकार करने वाला ।
- ख. प्रतिदिन वैदिक उपासना करने वाला ।
- ग. मानसिक, वाचनिक, शारीरिक व आर्थिक रूप में दर्शन योग धर्मार्थ ट्रस्ट का शुभचिन्तक हो । (सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त आर्थिक सहयोग देना स्वैच्छित है ।)
- घ. १०००/- (एक हजार) रुपया व इस से अधिक राशि सदस्यता शुल्क रूप में एक बार प्रदान करना ।
- ङ. शाकाहारी होना तथा बीडी, सिगरेट, अफीम, शराब आदि मादक द्रव्यों का सेवन न करने वाला ।
- च. जुआ, अफीम, मद्यमांसादि का व्यवसाय न करने वाला ।

२. सहयोग परिषद् की सदस्यता के लिए दर्शन योग महाविद्यालय में अथवा ट्रस्ट के किसी प्रकल्प में अथवा कोई विशेष कार्यक्रम आयोजन अथवा आवेदन दिनांक से पूर्व ३ वर्ष में कम से कम कुल १,००,०००/- (एक लाख) रुपया इस संस्थान को दान के रूप में दिये हो ।

३. प्रबन्ध परिषद् की सदस्यता के लिए दर्शन योग महाविद्यालय अथवा ट्रस्ट के किसी प्रकल्प में अथवा किसी विशेष कार्यक्रम आयोजन में व्यवस्था सम्बन्धित कार्य में विशेष बौद्धिक/ शारीरिक रूप से कम से कम तीन वर्षों से जुड़े हुए हो ।

अथवा

आर्यवन परिसर में कम से कम ५ बार योग शिविर में भाग लिया हो ।

अथवा

दर्शन योग महाविद्यालय के सघन साधना शिविर में कम से कम १ माह शिविरार्थी रूप में रहे हों ।

४. विद्या परिषद् की सदस्यता के लिए ।

(क) दर्शन योग महाविद्यालय में अथवा इस की कोई शाखा में कम से कम १ वर्ष का समय अध्ययन हेतु दिया हो।

अथवा

वैदिक (आर्य समाज) विचार रखने वाले अन्य गुरुकुल में २ वर्ष अध्ययन के लिए रहे हों।

अथवा

ब्रह्मचारी/ संन्यासी ३ वर्ष तक तथा वानप्रस्थ/ गृहस्थी ५ वर्ष तक दर्शनयोग सहयोग परिषद् / प्रबन्ध परिषद् में सदस्य आदि पद में रहा हो।

(ख) किसी भी गुरुमुख से योगदर्शन सहित कुल २ दर्शन पढा हो।

अथवा

दर्शन योग महाविद्यालय में अथवा दर्शन योग महाविद्यालय की शिष्य परम्परा से कम से कम प्रथमावृत्ति अध्ययन किया हो।

(ग) प्रायः प्रतिदिन दोनों समय नियमित वैदिक ईश्वर उपासना करता हो।

(घ) यम-नियम का पालन करने में तत्पर रहता हो (योगाभ्यासादि साधना अभ्यास में प्रवर्तमान हो)।

५. साधारण सदस्यों को योग्यता अर्थात् कार्यकाल, अवस्था, सेवा आदि के आधार पर सम्मान, अधिकार आदि में परिवर्तन / परिवर्धन किया जा सकेगा।

६. एक व्यक्ति एकाधिक परिषद् में सदस्य बन सकता है परंतु एक-एक कार्यक्षेत्र में अर्थात् प्रकल्प आदि में एक ही पद का अधिकारी बन सकेगा।

७. निर्धारित योग्यता के अंतर्गत आने वाले संस्थान, ट्रस्ट, समिति आदि के सुयोग्य प्रतिनिधि भी परिषद् के सदस्य आदि बन सकते हैं।